बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत

- बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत 10 और 11 फरवरी को साकेत व द्वारका कोर्ट में
- बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत 10 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट में

नई दिल्लीः 6 फरवरी, 2018। बीएसईएस, अपने उपभोक्ताओं के अनुरोध पर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर एक बार फिर स्पेशल लोक अदालतों को आयोजन करने जा रही है। लोक अदालत में बिजली चोरी मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 10 व 11 फरवरी को जिला न्यायालय साकेत व द्वारका में स्पेशल कोर्ट्स लगाई जाएंगी, तथा बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 10 फरवरी को जिला न्यायालय कड़कड़डूमा में ये अदालतें लगाई जाएंगी। बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी—— दोनों तरह के मामलों का निपटारा इन अदालतों में किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। ये अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेंगी।

बिजली चोरी मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ता अपने सेटल्ड/फाइनल बिल का वहीं पर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कैश काउंटर की व्यस्था होगी। यही नहीं, भुगतान के बाद वे अदालत परिसर में ही बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, बीएसईएस के निर्धारित ऑफिसों में भी तय रकम का भुगतान किया जा सकता है। सेटल्ड रकम के भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

लोक अदालत, दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं, तथा पूर्वी व मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।

लोक अदालत से संबंधित 15,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे गए हैं। इनमें सर्वाधिक मामले दरियागंज और नजफगढ़ डिविजनों के हैं।

बीआरपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– नजफगढ़, मुंडका, जाफरपुर, साकेत और सरिता विहार। वहीं, बीवाईपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– दरियागंज, पहाड़गंज, जीटी रोड, नंद नगरी और यमुना विहार।

लोक अदालत के आयोजन के बारे में उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, लीफलेट, पोस्टर, बैनर, मुनादी, एसएमएस और वॉट्सऐप आदि जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा जा रहा है। लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।